न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—28/2019 (GCMS No. 2019/00028) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामभजन पुत्र श्रीनारायण जाति मीना ग्राम गुढला तहसील बौली
2. बंशीलाल पुत्र श्रीनारायण मीना जाति मीना निवासी पीपलवाडा तहसील बौली
3. रामप्यारी पुत्री श्रीनारायण जाति मीना निवासी पीपलवाडा
4. कंचन पुत्री श्रीनारायण जाति मीना निवासी बुद्धा का बाढ
5. राजन्ती पुत्री श्रीनारायण जाति मीना निवासी बाडा अचलपुरया सभी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. भूरी बेवा श्रीनारायण मीना जाति मीना
2. हरिसिंह पुत्र श्रीनारायण मीना जाति मीना उम्र 14 वर्ष निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर जरिये संरक्षक माता भूरी बेवा श्रीनारायण मीना निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2012 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर अपील संख्या 14/2009 उनवानी भूरी वगै. बनाम रामभजन वगै. बावत् नामान्तकरण संख्या 814 दिनांक 25.11.2004 ग्राम सूरवाल।

उपस्थितिः—

1. श्री भोलाशंकर शर्मा, वकील अपीलान्ट

नि र्ण य

दिनांक : 26.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामांतरकरण संख्या 814 दिनांक 25.11.2004 वाके ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सूरवाल जो तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। वह पूर्णतया जांच करके व वास्तविक तथ्यों को गौर करके किया गया था। रेस्पोडैन्ट के पति श्रीनारायण ने अपने जीवनकाल में दो शादी की थी जिसके वारिसान पुत्र व पुत्रियां अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 हैं तथा श्रीनारायण की जमीन आराजीयात गुढलाचन्द्र जी तहसील बौली एवं सूरवाल में दो जगह स्थित हैं। दोनो जमीनें श्रीनारायण द्वारा स्वअर्जित नहीं है बल्कि पुश्तैनी हैं जिसकी वसीयत करने का अधिकार श्रीनारायण को नही था। उक्त वसीयत के आधार पर निर्णय दिया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगा. 2 अनुपस्थित। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस अपीलान्ट सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 814 दिनांक 25.11.2004 वाके ग्राम सूरवाल जो तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। वह पूर्णतया जांच करके व वास्तविक तथ्यों को गौर करके किया गया था। रेस्पोडैन्ट के पति श्रीनारायण ने अपने जीवनकाल में दो शादी की थी जिसके वारिसान पुत्र व पुत्रियां अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 हैं तथा श्रीनारायण की जमीन आराजीयात गुढलाचन्द्र जी तहसील बौली एवं सूरवाल में दो जगह स्थित हैं। दोनो जमीनें श्रीनारायण द्वारा स्वअर्जित नहीं हैं बल्कि पुश्तैनी हैं जिसकी वसीयत करने का अधिकार श्रीनारायण को नहीं था। फिर भी उसने वसीयत करके कानूनी भूल की है। श्रीनारायण ने दिनांक 05.11.2001 को रेस्पो. सं. 2 हरिसिह के नाम बालिग होने तक उक्त जमीन की देखरेख व मालिक रेस्पो. सं. 1 भूरी देवी रहेगी। इस तरह की पुश्तैनी जायदाद को वसीयत करने का अधिकार श्रीनारायण को नहीं था। वह अपने हिस्से की 1/8 जमीन का ही हरिसिंह के नाम वसीयत कर सकता था। श्रीनारायण ने अपने जीवनकाल में जो वसीयत दिनांक 05.11.2001 को की गई थी वह मियाद बाहर होने के कारण अपील चलने योग्य नहीं थी क्योकि किसी भी वसीयत का जो रेस्पो. के पक्ष में की गई थी उसका ज्ञान इतना देरीना होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। अपीलान्ट को उक्त वसीयत के बारे में उसी समय पता लग गया था। अपील में रेस्पो. द्वारा सही तथ्यों को छुपाया है तथा प्रथम अपील अपीलान्ट द्वारा केवल हरिसिंह पुत्र श्रीनारायण के नाम किया है जो नावालिग था तथा अपील विना संरक्षक बनाये पेश की। अपील आदेश के पांच वर्ष वाद प्रस्तुत की गई है तथा मियाद के प्रार्थना पत्र में उचित कारण भी नहीं दिया गया है। वसीयत फर्जी व श्रीनारायण के मरने के बाद गलत तैयार की जाकर अपील प्रस्तुत की है। रेसपो. सं. 1 ने श्रीनारायण से नाता विवाह किया है जबकि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उसकी प्रथम पत्नि सोनी जीवित थी। इस प्रकार किया गया नाता वेलिड नहीं माना जा सकता तथा नाते वाली स्त्री या उसकी औलाद को किसी प्रकार की पुश्तैनी भूमि में से वारिसाना हक प्राप्त नहीं है। रेस्पोडैन्टगण स्वयं खातेदार श्रीनारायण के उत्तराधिकारी के नाम नामांतरकरण खोला जाना स्वीकार करके चलती है। विवादित नामांतरकरण में दर्ज किये गये उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे अपीलान्ट उत्तराधिकारी माना गया हो। मृतक के सभी उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरकरण दर्ज होता है तथा उसकी वारिस मालिक होते हैं। मृतक खातेदारी श्रीनारायण द्वारा अपीलान्ट को अलग से कोई भूमि नहीं दी गई। अगर दी भी जाती तो इस भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार अपीलान्ट का कम नहीं होता है। नाते की औरत व उसके लडके हरिसिंह ने सक्षम न्यायालय से कोई डिक्लेयरेशन नहीं लिया है। ऐसी स्थिति में सोनी व उसके पुत्र पुत्रियां श्रीनारायण के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि के एकमात्र मालिक हैं। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है तथा साझे बांटे उक्त जमीन काश्त करवाते हैं। नामांतरकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया है। जिसकी केवल लगान वसूली किस व्यक्ति से की जावे निश्चित किया जाता है। किसी भी उत्तराधिकारी या सहखातेदार को नामांतकरण के जरिये मालिकाना हक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। मियाद बाहर अपील पेश करने के सबधं में प्रार्थीगण के आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थीगण को दिनांक 15.09.2012 को स्वयं सवाई माधोपुर आने पर हुई। अपील में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमाई जताकर पूर्व स्थिति को यथावत रखने के आदेश प्रदान करें।

4. बहस अपीलान्ट पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 08.06.20122 द्वारा रेस्पो. की ओर से की गई अपील को स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 814 दिनांक 25.11.2014 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर निरस्त करते हुये अदालत मातहत को पुनः प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयत को दृष्टिगत रखते हुये विवादित नामांतरकरण को नये सिरे से विधि अनुरूप दर्ज करने का पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध दिनांक 15.10.2012 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जिसमें उल्लेखित आधार न्यायालय के मत में पर्याप्त हैं। अतः अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

5. मृतक श्रीनारायण द्वारा दो विवाह किया जाना उभयपक्ष द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में स्वीकार किया है। अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित आराजी मृतक श्रीनारायण की पैत्रिक आराजी थी। इस बावत् न तो प्रथम अपीलय न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में कोई विधिमान्य दस्तावेज पेश किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता श्रीनारायण की पैत्रिक आरजी हो। अपीलान्ट के पिता द्वारा पंजीकृत वसीयत दिनांक 05.11.2001 से रेस्पो. सं. 1 व 2 के पक्ष में कर दी। उक्त पंजीकृत वसीयतनामा को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अविधिमान्य घोषित किया जा चुका हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज को अविधिमान्य न घोषित कर दिया जावे तब तक वह विधिमान्य रहता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अदालत मातहत को प्रस्तुत पंजीकृत वसीयत को दृष्टिगत रखते हुये विवादित नामांतरकरण को नये सिरे से विधि अनुसार दर्ज करने का आदेश पारित किया है, साथ ही अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि नामांतरकरण की प्रक्रिया से अधिकार तय नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अधिकार तय कराने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय के मत में उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2012 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/06/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर